



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8 1973/माघ 19, 1894

No. 53] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 1973/MAGHA 19, 1894

ईम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1973

S.O. 79(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby appoints under sub-clause 2(9) of the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for the purposes of Export) Order, 1966 the following officers as Directors for the purposes of the said Central Order:—

- (i) Shri P. N. Kapur, Textile Commissioner, Bombay.
- (ii) Shri R. C. Saksena, Joint Textile Commissioner, Bombay.
- (iii) Shri I. B. Dutt, Industrial Adviser, Office of the Textile Commissioner, Bombay.
- (iv) Shri R. Viswanathan, Adviser (Cotton), Office of the Textile Commissioner, Bombay.

[No. F. 13(3)/73-Tex.(I).]

K. KISHORE, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

का० आ० 79 (अ) :—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार आवश्यक वस्तु (निर्यात हेतु उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 के उप-खण्ड 2 (क) के अन्तर्गत उक्त नियंत्रण आदेश के प्रयोजनों के लिये एतद्वारा निम्नोक्त अधिकारियों को निदेशकों के रूप में नियुक्त करती है :

1. श्री पी० एन० कपूर, वस्त्र आयुक्त, बम्बई ।
2. श्री बी० सी० सक्सेना, संयुक्त वस्त्र आयुक्त, बम्बई ।
3. श्री आई० बी० दत्त, औद्योगिक सलाहकार, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई ।
4. श्री आर० विश्वनाथन्, सलाहकार (रई), वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई ।

[सं० मिसिल 13(3)/73-टैक्स—I]

के० किशोर, संयुक्त सचिव ।